राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 01437/2023

श्रीमति कविता

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक प्रांरभिक शिक्षा बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.05.2023
आदेश की दिनांक : 25.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापिका ग्रेड–3 के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चक–3 बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापन स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरण कराने के संबंध में दिनांक 19.08.2021 को एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया गया लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया। अपीलार्थी ने फिर दिनांक 09.02.2023 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी ने अंकित किया कि पूर्व में दिनांक 23.08.2021 को जो ऑन लाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसका निस्तारण नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आदेश दिनांक 19.08.2021 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में अन्यत्र विद्यालय में रिक्त पद पर नियुक्ति के आदेश दिए जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापिका ग्रेड–3 के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चक–3 बीकानेर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

8 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य